कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री योगेश कुमार शर्मा, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, बापू गांव–चाकसू, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि, सोरई–लक्ष्मणगढ, अलवर किया गया। श्री योगेश कुमार शर्मा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या–18936/2019 श्री योगेश कुमार शर्मा बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या–18936/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–14.11.19 द्वारा याचिकार्थी श्री योगेश कुमार शर्मा को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने तथा अधिकरण को 10 दिवस के भीतर आदेश प्रसारित करने के आदेश प्रदान किये है एवं इस समयावधि में याचिकार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अवपीड़क कार्यवाही अमल में नहीं लाने के आदेश प्रदान किये है।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री योगेश कुमार शर्मा द्वारा उक्त निर्णय की अनुपालना में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अग्रिम निर्देश प्रदान करने का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। अपीलार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। याचिकार्थी द्वारा स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान पर दिनांक–02.12.2019 को कार्यग्रहण भी कर लिया है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता) 24/01
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./योगेश कुमार शर्मा/18936/2019/8 दिनांक– 27/01/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, अलवर।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. प्रधानाचार्य, राउमावि, बापू गांव–चाकसू, जयपुर/राउमावि, सोरई–लक्ष्मणगढ, अलवर
9. कार्मिक श्री योगेश कुमार शर्मा, व्या0 हिन्दी, राउमावि, सोरई–लक्ष्मणगढ, अलवर
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर